

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक:- प.1(4)(1)/नपा/रानिआ/2014/ 5657

दिनांक : 31/7/15

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर) राजस्थान।

विषय:- नगरपालिका निर्वाचनों में महिला अभ्यर्थियों के विवाह पूर्व व विवाह पश्चात् नामों में भिन्नता के संबंध में स्पष्टीकरण बाबत।

महोदय,

आयोग की जानकारी में लाया गया है कि राज्य के अनेक क्षेत्रों व समाजों के प्रचलित रीति-रिवाजों के कारण विवाह पश्चात् महिलाओं के नाम में परिवर्तन कर दिया जाता है। ऐसे में विवाह पश्चात् बनने वाले मतदाता पहचान पत्र, मतदाता सूची आदि दस्तावेजों में उनका नाम विवाह पूर्व के उनके दस्तावेजों यथा शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र आदि में अंकित उनके नाम से भिन्न हो जाता है। ऐसे में नगरपालिका निर्वाचनों में शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रावधान के संदर्भ में अभ्यर्थियों की योग्यता निर्धारण में समस्या उत्पन्न हो सकती है।

आयोग का यह दायित्व है कि चुनाव स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष हो तथा कोई भी योग्य अभ्यर्थी चुनाव लड़ने के अवसर से वंचित ना रहे। इस क्रम में राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 97 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग यह निर्देश जारी करता है कि नगरपालिका निर्वाचनों में किसी एक ही महिला के शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित विवाह पूर्व के उसके नाम में विवाह पश्चात् परिवर्तन किए जाने के फलस्वरूप मतदाता पहचान पत्र, मतदाता सूची आदि में उसका परिवर्तित नाम अंकित हो जाता है तो संबंधित महिला अभ्यर्थी से उसके नाम निर्देशन पत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी ले लिया जावे कि विवाह पूर्व के शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित एवं विवाह पश्चात् मतदाता पहचान पत्र, मतदाता सूची में अंकित दो अलग-अलग नाम उसके ही हैं तथा उक्त शपथ पत्र के अनुसार यदि वह अन्यथा चुनाव लड़ने के योग्य हो तो उसे चुनाव लड़ने के लिए पात्र माना जावे।

अतः निर्देशानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

31.7.2015
(अशोक कुमार जैन)
सचिव